सं.19023/1/2006-संस्था-IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्तूबर, 2006

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.)/सरकारी प्रयोजन से की गई रेल यात्रा के लिए "इंटरनेट" के माध्यम से बुक की गई रेल टिकट के प्रभारों की प्रतिपूर्ति ।

भारतीय रेल ने **"इंटरनेट"** के माध्यम से रेल टिकट की बुकिंग की शुरुआत की है तथा सरकारी कर्मचारियों को सरकारी यात्रा/एल.टी.सी. के लिए यह सुविधा मुहैया करने के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों से कई अभ्यावेदन इस मंत्रालय में प्राप्त हुए हैं ।

2. मामले पर इस मंत्रालय में विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया है कि इंटरनेट/ई-टिकटिंग के माध्यम से भारतीय रेल की वेबसाईट द्वारा बुक की गई टिकटों की प्रतिपूर्ति की अनुमति केवल सरकारी दौरों तथा एल.टी.सी. प्रयोजन से की गई रेल यात्रा के लिए ही होगी ।

3. जहां तक भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों पर इनके लागू होने का प्रश्न है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श के पश्चात् जारी किए जाते हैं ।

आर. प्रेम आनन्द

(आर. प्रेम आनन्द)

अवर सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक वितरण सूची के अनुसार प्रेषित ।